2016/00122

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 37/2016 श्री कल्याण बनाम भवानीसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ दिनांक 04–07–2016 प्रकरण संख्या 19/2015 वाद ————————	
24–01–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में स्थिति इस प्रकार प्रकट आई है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियत तिथि 4–7–2016 के स्थान पर प्रकरण को अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचित किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना, प्रकरण को लोक अदालत में रखकर सिर्फ सरपंच के कथन के आधार पर राजस्व रेकार्ड मं भूमियां मोरूषी होने की ताईद के बिना घोषणात्मक वाद रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में स्वेच्छाचारी रूप से प्राकृतिक न्याय व स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध पांच–सात लाईनों में डिक्री कर पक्षकारों के श्रव व धन पर बेज़ा कुठाराघात कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 4–7–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्द्रेशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–200018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	